इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में प्रधानमंत्री का भाषण

25 फरवरी, 2005
नई दिल्ली

श्री अरूणपुरी और साथियों

मुझे प्रसन्नता है कि कॉन्क्लेव में आज शाम मैं आपके साथ हूँ जो अब दिल्ली की गतिविधियों का एक अभिन्न अंग बन गया है ।

सबसे पहले, मैं, इंडिया टुडे कॉन्क्लेव की मौलिक सोच तथा इस सोच को जारी रखने, दोनों ही बातों के लिए आपको हार्दिक बधाई देना चाहूंगा । इस कॉन्क्लेव के माध्यम से सभ्य समाज तथा सरकार के प्रतिनिधियों के बीच तथा भारतीय एवं विदेशी विद्वानों, विचारकों, शिक्षाविदों तथा नेताओं के बीच वार्ता आगे बढ़ी है ।

मैं ऐसे अवसरों का स्वागत करता हूं क्योंकि हमारे लोकतंत्र की वास्तविक शक्ति इसी में है कि हम ऐसी वार्ताएं निरंतर करते रहें । लोकतंत्र की गूंज एवं लचीलेपन का परीक्षण मात्र चुनाव करवाने और विधानमंडल बनाने की क्षमता ही नहीं है । समाज की योग्यता इसी में है कि वह स्वयं से तथा परस्पर संपर्क के सभ्य तरीकों के माध्यम से बाहरी समाज से संपर्क बनाए रखे अन्य किसी वास्तविक लोकतंत्र की भांति हमारा समाज भी तर्कशील समाज है । असहमति का अधिकार तथा वाद-विवाद की स्वतंत्रता ऐसे समाज का प्रमाण-चिन्ह होती है । इसलिए मैं ऐसे अवसरों को महत्व देता हूं जहां विवादपूर्ण एवं संघर्षपूर्ण विचारों पर शांति से विचार किया जा सकता है ।

मैं इंडिया टुडे समूह को भी बधाई देता हूं जो भारत में विश्व की झलक के रूप में उभरा है । तथापि, मुझे विश्वास है कि अपनी विश्वव्यापी पहुँच से, आपके संगठन को लगातार विश्व में भारत की झलक के रूप में भी उभरने का प्रयास करना चाहिए । इसके लिए, यह आवश्यक है कि अग्रणी मीडिया संगठन अंतरराष्ट्रीय मसलों पर अपने पाठकों हेतु भारतीय परिदृश्य प्रस्तुत करने के लिए विदेशों में भारतीय एजेंसियों में निवेश करें । भारत विश्व के साथ और अधिक अर्थपूर्ण तरीके से जुड़े, इसके लिए यह जरूरी है कि हमें विश्व की घटनाओं की सम्यक् जानकारी हो तथा विश्वव्यापी प्रवृत्तियों पर भारतीय परिदृश्य तथा दृष्टिकोण विश्वमंच पर प्रदर्शित हो ।

साथियों, हमारी सरकार के इन नौ महीनों के कार्यकाल में, मैंने निरंतर अपने मुद्दों तथा प्राथमिकताओं के बारे में आगाह किया है । मुझे पूर्ण विश्वास है कि हमारी जनता ने संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन को मत दिया क्योंकि जनता चाहती थी कि सरकार हमारे गणतंत्र के मूलभूत सिद्धांतों का और अधिक ध्यान से अनुसरण करे । हमारा राष्ट्र उदारवाद, सामाजिक लोकतंत्र, बहुलवाद, धर्मनिरपेक्षता, बहु-संस्कृतिवाद के मूल्यों के प्रति गहरी तथा स्थायी वचनबद्धता के आधार पर बना था तथा समानता, सामाजिक न्याय तथा विधिसम्मत शासन के सिद्धांत हमारी सभ्यता के आधारभूत मूल्य हैं तथा हमारे गणतंत्र के आधार है ।

भारत और विदेशों में कई लोग जिन्होंने हमारे स्वाधीनता संघर्ष की इस परंपरा की प्रशंसा की है, हाल ही के वर्षों में हमारी राजनीति में सांप्रदायिकता तथा बहुसंख्यावाद के आ जाने से काफी चिंतित थे । यदि इन विश्वासघाती प्रवृत्तियों पर निगरानी नहीं रखी गई होती तो भारत वह भारत नहीं होता जो हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने चाहा था । किसी भी स्वतंत्र समाज के दायरे में असहनशीलता तथा अतिवाद की आवाजें उठती ही हैं तथा लोकतंत्र को इन उल्लंघन करने वाले समूहों से निपटना आना चाहिए, हालांकि वह विधि सम्मत शासन के ढांचे में ही हो । तथापि, आज के किसी भी आधुनिक एवं सभ्य समाज की मुख्य प्रवृत्ति केवल बहुलवाद की ओर हो सकती है । हमें एक विस्तृत राज्य व्यवस्था तथा जिम्मेवार समाज तैयार करना चाहिए।

ऐसे भारत की संकल्पना जिसके द्वारा भारत को परिभाषित किया जा सके यदि कोई है तो वह संकल्पना एक व्यापक, खुले, बहु-संस्कृति, बहु-जातीय, बहु-भाषी समाज की संकल्पना है । मुझे विश्वास है कि यह इक्कीसवीं सदी में समस्त समाजों के राजनीतिक विकास की प्रबल प्रवृत्ति है । इसलिए, हमारा इतिहास एवं मानवता के प्रति यह दायित्व है कि हम यह दिखाएं कि बहुलवाद कार्य कर रहा है । भारत को यह दिखाना चाहिए कि लोकतंत्र उन लोगों का विकास कर सकता है तथा उन्हें सशक्त बना सकता है जो समाज के उपेक्षित वर्ग हैं । आज के विश्व में उदार लोकतंत्र राजनीतिक संगठन की सहज व्यवस्था है । समस्त वैकल्पिक व्यवस्थाएं, जो भिन्न-भिन्न स्तरों पर सत्तावादी तथा बहुसंख्यावादी हैं, पथभ्रष्टता है ।
साथियों,

समस्त लोकतांत्रिक समाज कई कारणों से आंतरिक चुनौतियों का सामना करते हैं, ऐसे में लोकतंत्र का प्रमुख लाभ ऐसी स्थितियों को पूर्ण तैयारी से निपटने की

उनकी क्षमता में होता है । हमारे स्वयं के अनुभव ने हमें दिखा दिया है कि लोकतांत्रिक पद्धतियों से अत्यधिक असाध्य समस्याओं के स्थायी हल निकले हैं । सत्तावादियों के जवाब से लोगों की वास्तविक समस्याओं का समाधान नहीं हो सकता अथवा जीवन जीने योग्य नहीं बनाया जा सकता । वे केवल तत्समय की समस्या का निराकरण थोड़े-से समय के लिए ही कर पाते हैं और संभावना यही होती है कि उसके नकारात्मक परिणाम ही आएंगे जिससे समस्या के निराकरण का उपाय समस्या की तुलना में उससे अधिक बदतर ही होता है । हमारे पड़ोस में विशेषकर अशांति के संदर्भ में, हमारे लिए यह विशेष गर्व का विषय है कि इस सप्ताह हमारे क्षेत्र में सबसे नए लोकतंत्र के राष्ट्रपति आए हैं । मैं अफगानिस्तान के राष्ट्रपति करजई का ज़िक्र कर रहा हूं जिन्होंने लोकतंत्र का बीज बोने में अत्यधिक साहस दिखाया है । हम आश्वस्त हैं कि अफगानिस्तान के सुहृदय लोग अपने देश में चिर-प्रतीक्षित शांति की स्थापना हो जाने से इस राजनीतिक विकास के फल प्राप्त करेंगे ।

साथियों,

यदि खुले समाज में हमारे बने रहने की हमारी प्रतिज्ञा हमारे राष्ट्रवाद के स्तंभों में से एक है, तो खुली अर्थव्यवस्था में बने रहना हमारी दूसरी प्रतिज्ञा है । एक ऐसी अर्थव्यवस्था जो उद्यम की स्वतंत्रता की गारंटी देती है, व्यक्तिगत सृजनता का सम्मान करती है तथा उसी समय सामाजिक अवसंरचना तथा मानवीय क्षमताओं के विकास के लिए सार्वजनिक निवेश को गतिशील बनाती है । वास्तव में, यह सुझाव देना अतिश्योक्तिपूर्ण नहीं होगा कि ये ही वे सिद्धांत हैं जिनका समर्थन समस्त देश करना चाहेंगे । विश्व के संबंध में, हमें हमारी राष्ट्रीयता के इस महत्वपूर्ण पहलू को कभी भी ओझल नहीं होने देना चाहिए ।

ठीक वैसे ही, जैसे विकसित औद्योगिक अर्थव्यवस्थाओं ने संक्रमणकालीन अर्थव्यवस्थाओं को खुली अर्थव्यवस्था में परिवर्तित कर दिया उसी प्रकार विकसित लोकतांत्रिक उद्देश्यों को भी संक्रमणकालीन समाजों में परिवर्तित करने के कार्य में सहायता करनी चाहिए । मुझे विश्वास है कि विश्व के लिए भारत की नीतियां हमारे राष्ट्रीयता के मूल मूल्यों के प्रति यह प्रतिज्ञा करते हुए बनाई गई हैं । हमें उनसे तादात्म्य स्थापित करने में गर्व करना चाहिए जो पूरे विश्व में उदार लोकतंत्र तथा धर्मनिरपेक्षता के मूल्यों की रक्षा करते हैं ।

साथियों,

पिछले दशक तथा उससे भी पहले इस देश में विश्व के साथ विस्तृत एशिया के हमारे पड़ोसी देशों तथा प्रमुख शक्तियों के साथ हमारे आपसी संपर्क के स्वरूप पर चर्चा हमारी आर्थिक नीति में हुए व्यापक परिवर्तनों के अनुसार सुनिश्चित की गई है । आर्थिक उदारीकरण की ओर जो प्रयास हमने 1990 के दशक के प्रारंभ में किए, उससे विश्व के साथ हमारे परस्पर संपर्क का स्वरूप नहीं बदला है, बल्कि इससे भारत की विश्वव्यापी ग्रहणशीलता भी विकसित हुई है । वास्तव में, उन्होंने ग्रहण करने की तुलना में और अधिक विकास किया है । उन्होंने उस तरीके में भी बदलाव किया है जिसमें अन्य राष्ट्र, चाहे बड़ा हो या छोटा, हमसे संबंध रखते हैं । आज अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत के साथ काम करने तथा परस्पर लाभ तथा परस्पर अंतरनिर्भरता के संबंध बनाने की अत्यधिक उत्सुकता है । यह ठीक हमारे विकास एवं सुरक्षा का आभास देती है ।

1991 से उत्तरोत्तर सरकारों द्वारा उठाए गए कदमों से हमें अंत में वह सब कुछ हटाने में सहायता मिली है जिसका विकास आयोजक वृद्धि पर बाह्य नियंत्रण के रूप में 1960 एवं 1970 के दशकों में उल्लेख किया करते थे । भारतीय उद्योग एवं हमारे व्यावसायियों ने विश्व को यह दिखा दिया है कि उनमें अत्यधिक सुरक्षित परिवेश से सख्त प्रतियोगी परिवेश में आत्मविश्वास से कदम रखने की क्षमता है । जैसा कि हमारे राष्ट्रीय न्यूनतम साझा कार्यक्रम (एन सी एम पी) में प्रस्तुत किया गया है कि हमारे पास सामाजिक एवं आर्थिक सुधार तथा विकास का विस्तृत एजेंडा है, तथा हमारी सरकार की प्राथमिकता इसे लागू करने पर होगी । ऐसा करने से हम आगे विश्वव्यापी चुनौतियों का सामना कर सकेंगे ।

साथियों,

मैं इस संकल्पना को आपके समक्ष विचार करने के लिए रखता हूं कि विश्वव्यापी परिवेश भारत के आर्थिक विकास के लिए इतना अधिक प्रेरक कभी नहीं रहा जितना कि आज है । विश्व भारत से अच्छा करने की उम्मीद रखता है । परन्तु हमें पता है कि हमारी वास्तविक चुनौतियां हमारे घर में ही हैं । यही कारण है कि राष्ट्रीय न्यूनतम साझा कार्यक्रम में अवसंरचना, कृषि, स्वास्थ्य तथा शिक्षा, शहरी नवीकरण तथा कुशल अर्थव्यवस्था में निवेश बढ़ाने पर ज्यादा ज़ोर दिया गया है । यह सुनिश्चित कर लेने पर कि आज वृद्धि पर कोई बाह्य दबाव नहीं है, अब हमें इस बात से भी आश्वस्त होना होगा कि विकास के लिए कोई आंतरिक दबाव भी नहीं है । यही एन सी एम पी के लक्ष्य हैं जो प्राप्त करने हैं ।

परंतु, कह सकते हैं कि वृद्धि पर बाह्य दबाव की बाध्यता नहीं है, इसका आशय यह नहीं है कि हम नए अवसरों का पूर्ण लाभ उठा रहे हैं । ऐसा काफी कुछ है जो हम विश्वव्यापी बचतों पर प्राप्त करने के लिए तथा विश्वव्यापी बाजारों से संपर्क स्थापित करने के लिए कर सकते हैं । विकासशील अर्थव्यवस्था के रूप में हमें और अधिक विकास करने के लिए अंतरराष्ट्रीय ससांधनों पर ध्यान देना चाहिए । हमें विश्वव्यापी पूंजीगत प्रवाहों के लिए अधिक खुला होना चाहिए तथा माल एवं सेवाओं के लिए नए बाजारों का लाभ उठाने के लिए बेहतर रूप से तैयार रहना चाहिए । भारत व्यापार में बहुपक्षवाद के प्रति पूर्णतया वचनबद्ध है । परंतु हम बहुपक्षीय संस्थाओं का सुधार एवं उनका लोकतंत्रीकरण का प्रयत्न करेंगे । उसी समय, भारत दक्षिण-दक्षिण सहयोग को सशक्त बनाएगा जिसका लक्ष्य दक्षिण के समस्त राष्ट्रों को राष्ट्रों के शिष्टाचार में उनका न्यायसंगत स्थान पुनः दिलाना है ।

साथियों,

विश्वव्यापीकरण एक अवसर एवं एक चुनौती दोनों है । एक दशक पहले, किसने कल्पना की होगी कि भारत एक प्रमुख सॉफ्टवेयर सेवा निर्यातक होगा और प्रतिभा-अर्जन न कि प्रतिभा-पलायन की नई प्रक्रिया इन क्षेत्रों में ऐसे अवसरों के माध्यम से सृजित होगी । तथापि, हमें स्वयं से पूछना चाहिए, क्या हम इस प्रक्रिया को सुरक्षित रखने के लिए काफी कुछ कर रहे हैं ? हमारी कुशल अर्थव्यवस्था के विकास ने विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी आधारित उत्पादों के लिए नए बाजार खोले हैं । पुनः हमें अपने आप से प्रश्न करना होगा कि क्या हम इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए काफी कुछ कर रहे हैं ? उत्पादन में भी ऐसे कई विश्वव्यापी अवसर हैं जिनका हमें सदुपयोग करना चाहिए । बहु-फाइबर समझौते के समाप्त होने से टैक्सटाइल में व्यापार के लिए नए अवसर सामने आए हैं । हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हम इन नए अवसरों का लाभ उठाने के लिए तैयार हैं ।

हम विश्वव्यापीकरण को सफलता का खेल बनाना चाहेंगे । हम विश्वव्यापीकरण की चुनौती का कैसे सामना करते हैं तथा इसके अवसरों का उपयोग हम कैसे करते हैं, इसी आधार पर विश्व के साथ हमारे संबंध बनेंगे, तथा राष्ट्र के रूप में हमारी क्षमताओं का अवबोधन होगा । मुझे विश्वास है कि इस संबंध में पहले काफी कुछ किया जा चुका है । प्रमुख शक्तियों से हमारे संबंध, विशेषकर संयुक्त राज्य अमेरिका तथा हाल ही में चीन से आर्थिक घटकों को लेकर लगातार बढ़े हैं । एक दशक पहले किसने कल्पना की होगी कि चीन हमारे दूसरे सबसे बड़े व्यापार भागीदार के रूप में उभरकर आएगा ? संयुक्त राज्य के मामले में, लोगों के आपसी संपर्क में तेजी आने तथा व्यापार

से व्यापार में आपसी संपर्क बढ़ने से एक राष्ट्र की दूसरे राष्ट्र से निकटता धीरे-धीरे बढ़ी है ।

इसी प्रकार, व्यापार एवं वाणिज्य ने भी यूरोपीय संघ के साथ हमारी नीतिगत भागीदारी में सहारा दिया है । यह सुनिश्चित करने का हमारा प्रयास होना चाहिए कि रूस के साथ हमारे पारंपरिक मित्रवत संबंधों में आर्थिक एवं वाणिज्यिक संपर्कों से एक मज़बूत एवं नया कदम जोड़ने में सहयोग मिल रहा है । वस्तुतः, मुझे विश्वास है कि रूसी संघ के साथ हमारे नीतिगत संबंध हमारे द्विपक्षीय आर्थिक संबंधों पर अधिक बल देकर अधिक समृद्ध बनाए जा सकते हैं । यहां तक कि व्यापक एशिया के पड़ोसी देशों के प्रति हमारा दृष्टिकोण आर्थिक कारकों से अत्यधिक प्रभावित हुआ है । पूर्व एवं दक्षिण-पूर्व एशिया के देश हमारे लिए महत्वपूर्ण आर्थिक भागीदार बन गए हैं तथा उनका नज़रिया हमारे प्रति और अधिक सकारात्मक बना है । जापान के साथ आर्थिक क्षेत्र में नवीकृत सहयोग हमारे संबंधों को नई रूपरेखा दे रहा है और जापान से मिल रही सहायता तथा निवेश प्रवाह में वृद्धि हो रही है । एनर्जी सुरक्षा के लिए हमारा कार्य हमारी व्यवहार कुशलता का प्रमुख तत्व बन गय्ाा है तथा पश्चिमी एशिया, मध्य एशिया, अफ्रीका तथा लेटिन अमेरिका में पूरे विश्व के देशों के साथ हमारे संबंध बन रहे हैं ।

यह भी दिलचस्प बात है कि हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रति अन्य देशों की प्रतिक्रिया व्यवसाय के ज्ञान एवं आर्थिक अवसरों के अनुसार हो रही है । जब हमने स्वयं को परमाणु शस्त्र शक्ति घोषित किया तो वे देश जिन्होंने भारत पर प्रतिबंध लागाए, अब हमसे संबंध बना रहे हैं, जिससे कि वे आपसी आर्थिक लाभ के अवसरों का उपयोग कर सकें । एक जिम्मेदार परमाणु शक्ति के रूप में आज भारत की पहचान बढ़ती जा रही है । हम परीक्षण करने पर हमारी बहुपक्षीय विलम्बन तथा सबसे पहले प्रयोग न करने की हमारी नीति के प्रति प्रतिज्ञाबद्ध हैं । हम जनसंहार के शस्त्रों को प्रचुर मात्रा में बनाने से रोकने के लिए तथा सर्वव्यापी परमाणु निरस्त्रीकरण के अंतिम लक्ष्य की ओर कार्य करने के लिए अंतरराष्ट्रीय समुदाय के साथ कार्य करने की हमारी इच्छा की पुनः पुष्टि करते हैं ।

साथियों,

परंतु दुःख की बात है कि दक्षिण एशिया आर्थिक सहयोग के सफलता के पहलू को अभी तक पहचान नहीं सका है । जबकि भारत ने अपने पड़ोसी देशों के साथ द्विपक्षीय संबंध स्थापित किए हैं जो राजनीतिक एवं आर्थिक रूप से भिन्न-भिन्न हैं, मात्र शुल्क कम करके तथा नकारात्मक सूचियों में कांट-छांट करके आपसी लाभ के संबंध

नहीं बनाए जा सकते । परिवहन एवं संचार संपर्क दोनों में अधिक संयोजकता तथा पारगमन मार्ग खुले रखकर हम अपने उप-महाद्वीप को आर्थिक एवं वाणिज्यिक संपर्कों के वेब में परिवर्तित कर सकते हैं । हम आपसी लाभ के लिए संयुक्त रूप से पारस्परिक निर्भरता उत्पन्न कर सकते हैं । प्रतीत होता है कि यह संभवतः सुसाध्य प्रक्रिया संकुचित राजनीतिक गणनाओं से लड़खड़ा गई है । हमें क्षेत्र में निहित शक्ति प्राप्त करने के लिए दक्षिण एशिया में भागीदारी तथा सामान्य लक्ष्य प्राप्त करने की दूरदर्शी सोच को बढ़ाना चाहिए ।

दक्षिण एशिया में हममें से कोई भी अंतरराष्ट्रीय संबंधों में आर्थिक अंतरनिर्भरता की भूमिका को कम नहीं आंक सकता । यूरोपीय संघ, ए एस ई ए एन एवं ए पी ई सी, एन ए एफ टी ए तथा अन्य क्षेत्रीय समूहों के उदाहरण से पता लगता है कि विश्व की अत्यधिक गतिशील अर्थव्यवस्थाएं आपसी लाभ, क्षेत्रीय सुरक्षा तथा शांति के लिए ऐसे संबंध बना रही हैं । वास्तव में, हमें ऐसे क्षेत्रीय समूहों के साथ और अधिक निकट संबंध रखने चाहिए । इन प्रत्येक क्षेत्रों के भारतीय मूल के लोगों के साथ हमारे संबंध सभ्य तथा समकालीन दोनों हैं जो कि हमारे बहु-संस्कृति समाजों के बीच में सांस्कृतिक सेतु का कार्य कर रहें हैं ।

साथियों,

राष्ट्र की विदेश नीति बनाने में आर्थिक पहलू की भूमिका होती है, यह धारणा कोई नई नहीं है । जब पंडितजी ने दिसंबर, 1947 में निर्वाचन सभा विधानमंडल में भारतीय विदेश नीति की अपनी संकल्पना को पहली बार स्पष्ट किया तो हम भारत में गणतंत्र के रूप में शुरू से ही इस वास्तविकता से अभिज्ञ थे ।
पंडितजी ने कहा था तथा मैं कोट करता हूं कि :

" विदेश नीतियों की बात करते हुए, सदन को यह स्मरण रखना चाहिए कि ये शतरंज की बिसात पर होने वाली लड़ाई नहीं हैं । उनके पीछे सभी प्रकार की बातें हैं । आखिरकार, विदेश नीति आर्थिक नीति का परिणाम है .... हमारे लिए यह कहना ठीक है कि हम शांति और स्वतंत्रता पर कायम हैं तथा यद्यपि इससे किसी को कुछ नहीं मिलता, सिवाय एक सच्ची उम्मीद के । हम शांति और स्वतंत्रता पर कायम हैं .... निःसंदेह रूप से इसमें कुछ ठोस बात है, परंतु एक व्यर्थ कथन कि हम शांति तथा स्वतंत्रता पर कायम हैं, का कोई विशिष्ट अर्थ नहीं है । उसके बाद हम किस बात पर कायम हैं ? ठीक है, आपको इस दलील को आर्थिक क्षेत्र में व्यावहारिक रूप देना होगा ।"

मैं आपके समक्ष स्वीकार करता हूं कि भारत ने वास्तव में आर्थिक क्षेत्र में इस दलील को आगे बढ़ाया है । हमारी विदेश नीति निःसंदेह ही हमारी सभ्यता के मूल्यों तथा शांति एवं स्वतंत्रता के लिए हमारी प्रतिज्ञा से बनती है । परंतु, जैसा कि पंडितजी ने कहा, यह हमारे आर्थिक विकास के लिए हमारी प्रतिज्ञा तथा एक खुले समाज तथा खुली अर्थव्यवस्था के ढांचे में समस्त विकासशील अर्थव्यवस्थाओं के विकास के लिए समान रूप से बनाई गई है । यह विश्वव्यापी अर्थव्यवस्था में हमारे खोए हुए स्थान तथा राष्ट्रों के सौजन्य में हमारी आर्थिक स्थिति को वापस लाने की हमारी इच्छा से बनाई गई है । यह हमारे पड़ोसी देशों तथा हमारे आर्थिक भागीदारों से संबंध बनाने की इच्छा से बनाई गई है । यह हमारे पड़ोसी देशों में सम्मिलित शांति, स्वतंत्रता तथा विकास के भविष्य के प्रति हमारी दृढ़ एवं सच्ची प्रतिज्ञा से बनाई गई है ।

ये ऐसे सिद्धांत है जिनमें हमें विश्व तथा हमारे भागीदारों को सम्मिलित करना चाहिए । भारत विश्व में पुनः अपना उचित स्थान प्राप्त करने में लगा है परंतु यह प्रक्रिया तभी तेजी से बढ़ेगी जब हम अपने देश में ऐसा करेंगे तथा विश्व के साथ आपसी अंतरनिर्भरता के संबंध बनाएंगे । मैं चाहता हूं कि इसके बाद जब आप इन महत्वपूर्ण मुद्दों पर अपने विशिष्ट वक्ताओं से चर्चा करें तो इस बात पर भी गौर करें । मुझे उम्मीद है कि आपके प्रयासों से इस बात को हम ज्यादा सही ढंग से समझ पाएंगे कि आगे आने वाली चुनौतियों का सामना किस प्रकार करें ।

धन्यवाद, मैं आपकी सफलता की कामना करता हूं ।